



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18, संस्थान क्षेत्र, अहीन्द्र जील सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016.
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt of India
18, Institutional Area, S.J.S Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 011- 26856498
Website: www.kvsangathan.nic.in

फ.110333/2025-26/के.वि.सं.(मु.)/शैक्षिक/वाराणसी /7051

दिनांक: 08.01.2025

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
वाराणसी संभाग (Varanasi Region)

विषय: सत्र 2025-26 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रेंथ निर्धारण (कक्षाओं एवं कार्मिकों की संख्या को बढ़ाने एवं घटाने) के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक staff strength निर्धारण के online web portal के माध्यम से सत्र 2025-26 के लिए आपके संभाग अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालयों की कक्षाओं की स्वीकृति हेतु आपके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि प्राप्त प्रस्ताव पर विचार के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा आपके संभाग के निम्न तालिकाबद्ध केन्द्रीय विद्यालयों में सेक्शन बढ़ाने एवं घटाने की अनुमति सत्र 2025-26 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	के.वि. का नाम	सत्र 2025-26 के लिए कक्षाएँ/सेक्शन बढ़ाने/घटाने की अनुमति
1	Mirzapur	Sanctioned 2 nd section in class-I and one section in class-XI(Sc.).
2	Siddharth Nagar	Sanctioned 2 nd section in class-VIII. No other change.
3	Gangrani, Kushinagar	Sanctioned 2 nd section in class-VII.
4	Kauhar, Amethi	Sanctioned 2 nd section in class-I and one section in class-XI(Sc.). No other change.
5	Manauri, Allahabad	Decreased one section in class-XII(Com.).
6	ITI, Mankapur	Decreased one section in class-IX.
7	CRPF Allahabad	Sanctioned one section in class-XI(Sc.).


संभाग के शेष केन्द्रीय विद्यालयों के सेक्शनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कृपया संबन्धित उपायुक्त अनुवर्ती कार्रवाई हेतु, स्टाफ स्वीकृति के मानदंडों के अनुसार पूर्णतः जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात ही वांछित आलेख (Proforma-A & Proforma-B), निम्नलिखित प्रमाण पत्र (Certificate) के साथ अधिकतम 5 दिनों की समायावधि में इस कार्यालय को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

"It is certified that all the calculations are strictly as per staffing norms and there is no deviation."

- समेकित प्रोफॉर्म-A (Consolidated Proforma-A)- duly signed by the Deputy Commissioner of the Region.
- आपके संभाग के अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ स्वीकृति हेतु निर्गत किया जाने वाला Draft Proforma-B (Soft copy in Excel format).
- इस पत्र के साथ संलग्न Excel Sheet में समेकित विवरण भी भरकर भेजें।


संबन्धित उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर सुनिश्चित करें कि उपरोक्त डाटा/ आलेख (documents) जो के.वि.सं. मुख्यालय में भेजे जा रहे हैं वे पूर्णतः सही हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखें कि संभाग के समस्त विद्यालयों जिनमें एक समान संख्या स्वरूप में कक्षाएँ की अनुशांसा की गई हैं वहाँ पर पदों की संख्या भी नियमानुसार, यथासंभव समान ही होनी चाहिए। (All Vidyalayas having similar number of classes/sections should have same number of staff also to maintain uniformity)

भवदीय


08.01.25
(विनोद कुमार)

उपायुक्त (शैक्षिक)

संलग्नक : यथोपरि।


प्रचार्य
Principal
केन्द्रीय विद्यालय
Kendriya Vidyalaya
सी०आर०पी०एफ०, प्रयागराज
C.R.P.F., Prayagraj